भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5861

(सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कॉर्पोरेट शासन ढांचे को मजबूत करना

5861. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा कारपोरेट शासन के मानकों में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) देश में मुखौटा कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ङ) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या सुधार किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

.

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या
2022-23	1,59,302
2023-24	1,85,318
2024-25	1,81,138

(ख) भारत सरकार विनियामक अनुपालन को इष्टतम बनाने, समग्र पारदर्शिता के लिए कारपोरेट अभिशासन के मुद्दों का समाधान करने, पारदर्शिता को सुदृढ़ करने आदि की दिशा में कई उपाय कर रही है। इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 [सीए-13 या अधिनियम] के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों में कंपनियों के प्रबंधन में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने

के प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकृत कार्यालयों में लेखा पुस्तकों और सांविधिक रजिस्टरों का रख-रखाव करना, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना और यथोचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन्हें रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों का एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाना आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन, कंपनी के मामलों की स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बोर्ड की रिपोर्ट में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। कंपनी रजिस्ट्रार उन चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करता है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी वार्षिक विवरणी और/अथवा वित्तीय विवरण फाइल करने में विफल रहती हैं।

(ii) अधिनियम में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने और बोर्ड की विभिन्न समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति आदि का गठन करने के लिए चुकता पूंजी या कारोबार या ऋण के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने वाली सूचीबद्ध और सार्वजनिक कंपनियों की भी आवश्यकता होती है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'शेल कंपनी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए आवश्यक जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, यह मंत्रालय धारा 248(1) के तहत ऐसी कंपनियों को निरस्त करने के लिए समय-समय पर स्ट्राइक-ऑफ अभियान चलाता है, जो निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना कारोबार शुरू करने में विफल रही हैं, जो लगातार दो वित्तीय वर्षों से कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही हैं और अधिनियम की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है, या ज्ञापन के अभिदाताओं ने कंपनी के निगमन के समय भुगतान करने का वचन दिया था, लेकिन सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है और अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) के तहत निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा फाइल नहीं की है, या उक्त अधिनियम की धारा 12(9) के तहत किए गए भौतिक सत्यापन के बाद पता चलता है कि कंपनी कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की धारा 135 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत, प्रत्येक सीएसआर अनिवार्य कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है। समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है और कंपनी का बोर्ड कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उसे निष्पादित करता है और उसकी निगरानी करता है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना आवश्यक है और उसे स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण

आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2023-24 के दौरान, पात्र कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलापों पर कुल 34,908.75 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम) को कंपनियों से संबंधित कानूनों को समेकित करने और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने हितधारकों के लिए प्रकटीकरण, निदेशकों, लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की जवाबदेही, निवेशक संरक्षण और कारपोरेट प्रशासन से संबंधित परिवर्तन पेश किए। उक्त अधिनियम को 2015, 2017, 2019 और 2020 में संशोधित किया गया है ताकि कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके, व्यावसाय करने में सुगमता की सुविधा प्रदान की जा सके, अनुपालन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाया जा सके और नई अवधारणाओं को मान्यता दी जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अनुलग्नक में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

<u>दिनांक 30 मार्च, 2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5861 के भाग (ङ) से संदर्भित</u>

(i) 63 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए 2019 और 2020 में सीए-13 में और 2021 में एलएलपी अधिनियम, 2008 में संशोधन किए गए। कारपोरेट्स को राहत प्रदान करते हुए, गैर-अपराधीकरण के उद्देश्यों में से एक न्यायिक अदालतों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन के मामलों को न्यायनिर्णयन की ओर स्थानांतरित करना भी रहा है।

(ii) सीए-13 की धारा 462 के तहत 2015, 2017 और 2020 के दौरान अधिसूचनाएं जारी करके निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धर्मार्थ कंपनियों, निधि और आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) कंपनियों को कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(iii) न्यूनतम चुकता पूंजी, अर्थात् एक निजी कंपनी के लिए 1 लाख रुपये और एक सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपये की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(iv) अन्य स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के साथ स्टार्टअप्स के विलय को कवर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय की फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का विस्तार, ताकि ऐसी कंपनियों के लिए विलय और समामेलन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। अब इस प्रक्रिया का लाभ उन मामलों में भी उठाया जा सकता है जहां भारत के बाहर निगमित एक होल्डिंग कंपनी को भारत में निगमित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय किया जाना है।

(v) एकल व्यक्ति कंपनियों, छोटी कंपनियों, स्टार्टअप और उत्पादक कंपनियों के लिए कम शास्ति के लिए नई धारा 446ख।

(vi) निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर-परिवर्तनीय ऋण लिखतों को सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा ताकि कारपोरेट बोंड बाजार का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल उत्पादक कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 का पूर्व भाग IXक) से संबंधित प्रावधान।
